

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

--:अधिसूचना:-

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-213/2021.....

पटना, दिनांक- मार्च, 2025

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यरत बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को दिनांक-07.01.2025 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए कार्यरत में उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए कॉलम-5 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पद स्थापन	पदस्थापन हेतु पद/कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार का पद/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
01	श्री कैलाश नाथ	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया।	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी/सहरसा/ पूर्णिया एवं समस्तीपुर।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे।
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-

पटना, दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाश नार्थ (आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, गन्ना उद्योग विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/सभी संबंधित पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।